न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या/15/ 2023(GCMS : 2023/201)

असेट री–कन्स्ट्रैक्शन कम्पनी (इण्डिया लिमिटेड), एक पंजीकृत कम्पनी(पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय दॉ रूबी, दसवी मंजिल, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई–400028 तथा शाखा कार्यालय यूनिट/ऑफिस नम्बर 1008, 11वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री वीरेन्द्र यादव

बनाम

1. **राजेन्द्र कुमार चौहान** पुत्र भंवर लाल चौहान, पता प्लॉट नम्बर 26, कच्ची बस्ती नम्बर 2, एसक्यू नम्बर 67, पदमपुर, श्रीगंगानगर (राज.)–335041
2. **द्रोपती देवी** पत्नी श्री राजेद्र कुमार चौहान, पता व्यापार मण्डल के पीछे, वार्ड नम्बर 4, पदमपुर, श्रीगंगानगर (राज.)–335041

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार चौहान एंव द्रोपती देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 15.65/–रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख पैसंठ हजार मात्र) (दिनांक 24.03.2015 को 11.15/– लाख रूपये एवं दिनांक 22.07.2016 को 4.50/– लाख रूपये) के ऋण राशि की स्वीकृति को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति प्लॉट/सर्वे नम्बर 26, (क्षेत्रफल 112 वर्गगज), कच्ची बस्ती नम्बर 2 मु.न. 67, पदमपुर, श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार चौहान एवं द्रोपती देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 15.65/–लाख रूपये**(अखरे रूपये पन्द्रह लाख पैसंठ हजार मात्र) (दिनांक 24.03.2015 को 11.15/– लाख रूपये एवं दिनांक 22.07.2016 को 4.50/– लाख रूपये) **के ऋणी राशि की स्वीकृति प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2023.10.12 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने अपनी **अचल सम्पत्ति प्लॉट/सर्वे नम्बर 26, (क्षेत्रफल 112 वर्गगज), कच्ची बस्ती नम्बर 2 मु.न. 67, पदमपुर, श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 13.06.2019 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 25.11.2022** को जारी कर दिनांक 30.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार की **अचल सम्पत्ति प्लॉट/सर्वे नम्बर 26, (क्षेत्रफल 112 वर्गगज), कच्ची बस्ती नम्बर 2 मु.न. 67, पदमपुर, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यवाई [illegible] लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) [illegible] 25.11.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार [illegible].11.2022 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थीगण **दिनांक 30.11.2022 को**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राजेन्द्र कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया), लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति प्लॉट/सर्वे नम्बर 26, (क्षेत्रफल 112 वर्गगज), कच्ची बस्ती नम्बर 2 मु.न. 67, पदमपुर, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 13:00:53 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर